— 1 —

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, जिला—अजमेर

प्रकरण संख्या 49/2022(2022/)

नारायण पुत्र सुखा कौम बैरवा निवासी ग्राम मानखण्ड

——प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी

——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131भू.राजस्व अधिनियम

—:: आदेश ::—

दिनांक 28.01.2022

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प बघेरा में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के ग्राम मानखण्ड का खसरा नंबर 1875/3181 रकबा 1.90हैक्टर का नक्शा काफी छोटा है जबकि प्रार्थी मौके पर पुराने नक्शा अनुसार 1.90 है0 पर काबिज है जिसे राजस्व नक्शे को शुद्वध किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 के तहत लिया जाकर जॉच रिपोर्ट तहसीलदार केकडी द्वारा करवाई गई तहसीलदार केकडी से प्राप्त जॉच रिपोर्ट निम्नानुसार है

1. ग्राम मानखण्ड जमाबंदी सवंत 2072—75 खाता संख्या 168 पर खसरा नंबर 1875/3181 रकबा 1.90हैक्टर किस्म बारानी 2 नारायण पुत्र सुखा जाति बैरवा सा.देह खातेदार दर्ज रेकार्ड है।
2. प्रार्थी नारायण पुत्र सुखा बैरवा सा.देह खातेदार के खातेदारी खसरा नंबर 1875/3181 रकबा 1.90हैक्टर का नक्शाशीट में मान 0.45हैक्टर ही होता है नक्शाशीट में उक्त खसरा नम्बर 1875/3181 का माप 1.45 कम होकर वर्तमान नक्शाशीट में खसरा नंबर 1875/3181 की आकृति छोटी है।
3. प्रार्थी का खातेदारी खसरा नंबर 1875/3181 का नक्शा का माप(नक्शा आकृति) कम है परन्तु मौके पर प्रार्थी खातेदार का खातेदारी रकबा 1.90 हैक्टर के मुकाबले 1.90 हैक्टर भूमि पर ही कब्जा है। वर्तमान नक्शाशीट के अनुसार सिवायचक खसरा नंबर 1857 रकबा 2.41हैक्टर की आकृति 2.41हैक्टर के मुकावले नक्शाशीट में अधिक है।
4. मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल खसरा 1875/3181 रकबा 1.90हैक्टर व 1857 रकबा 2.41हैक्टर गत खसरा नंबर 623/1 से ही बने है।
5. मिलान क्षेत्रफल साबिक नक्शाशीट एवं मौके पर काबिज के अनुसार हाल नक्शा में खातेदारी खसरा नंबर 1875/3181 रकबा 1.90हैक्टर की तरमीम लालस्याही से प्रस्तावित है। प्रस्तावित तरमीम के अनुसार खसरा नंबर 1875/3181 का नक्शा की तरमीम शुद्धिकरण हेतु प्रेषित किया है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व उपलब्ध दस्तावेजात व जॉच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है प्रार्थी नारायण पुत्र सुखा ग्राम मानखण्ड के खसरा नंवर 1875/3181 रकबा 1.90हैक्टर की तरमीम लालस्याही से प्रस्तावित अनुसार दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार केकडी आदेश की पालना में राजस्व रिकॉर्ड, नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना—अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
शिविर प्रभारी केकड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.01 13:29:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner